राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर

कमांकः–ई–33/रेडियो/एम–59/11/ दिनांकः–

आदेश

राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 2008 के अन्तर्गत ग्रामीण सहायक रेडियोग्राफर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 10681/08 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25.9.08, याचिका संख्या 10737/08 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.9.08, याचिका संख्या 10999/08 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 29.9.08, याचिका संख्या 10941/08 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 29.9.08 एवं याचिका संख्या 10942/08 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 29.9.08 में पारित अन्तरिम आदेश की पालना में रिक्त रखे पदों के सम्बन्ध में उपरोक्त याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय दिनांक 30.5.11 व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिट याचिका 9116/08 में पारित निर्णय दिनांक 24.1.2011 की पालना में कमांक ई–33/रेडियो/एम/नियु/11/584 दिनांक 1.9.11 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में सें निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की समयावधि के लिए प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 7900/– पर नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार किया जाता है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशनल ट्रेनी) सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर ही पद की वेतन श्रृंखला 5200–20200 का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें। चयनित अभ्यर्थियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी ।

क0 सं0	आवेदक का नाम /पिता,पति का नाम	जन्मतिथि	जाति वर्ग	स्त्री / पुरूष	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
1	महेन्द्र कुमार माथुर / हकमनारायण माथुर	07/07/76	सामान्य	M	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालास जिला नागौर
2	रामकरण पलसानिया / बद्रीनारायण	07/07/76	ओबीसी	M	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निम्बीजोधा, नागौर
3	हरिसिंह सैनी / रामलाल सैनी	01/05/84	ओबीसी	M	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चूनावड, श्रीगंगानगर
4	बबलू सैनी / चन्दू सैनी	17/05/86	ओबीसी	M	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टपूकडा जिला अलवर
5	दुर्गा चौधरी / किशन सिंह	05/01/90	ओबीसी	F	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जसवन्तपुरा जिला जालौर
6	विमलेश कुमार / रामेश्वरलाल	18/08/74	एससी	M	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोरावड जिला नागौर
7	दिवेश कुमार महावर /मूलचन्द महावर	23/07/87	एससी	M	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डार जिला सवाई माधोपुर

उपरोक्त उल्लेखित अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारी को दिनांक 10.10.2011 तक आवश्यक रूप से देवें। उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र/जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिजिकल फिटनेस प्रमाण पत्र), दिनांक 22.5.06 से पूर्व यदि विवाह हुआ हो तो शपथपत्र एवं दिनांक 22.5.06 के पश्चात हुए विवाह के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दो चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग-अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये हो, प्रस्तुत करने होगें। इस तिथि के पश्चात् नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। आपराधिक दोष सिद्धि न होने का प्रमाण पत्र (पुलिस वैरीफिकेशन) संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया गया हो, प्राप्त होने पर ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराया जावेंगा । आचरण संदिग्ध अथवा दोष सिद्धि के कारण सजा होने की स्थिति में कार्यग्रहण न कराकर प्रकरण पूर्णरूप से तैयार कर मय दस्तावेजात के साथ अग्रिम आदेशार्थ संबंधित अधिकारी द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किये जायेंगे।

चयनित अभ्यर्थी कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित अधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि यदि कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वह आपराधिक दण्डिक कार्यवाही का भागी होगा । किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी पात्रता संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र बाद सत्यापन असत्य/फर्जी पाये जाने पर उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे ।

दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नही होने का शपथपत्र 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया हो, उपस्थिति रिपोर्ट के साथ उपरोक्त उल्लेखित शर्तो को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसके अभाव में अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र नहीं माना जावेगा ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

क्रमांकः-ई-33/रेडियो/एम-59/11/ 592 दिनांकः- 8-9-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, राज0जयपुर ।
2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।
3- उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर ।
4- निदेशक, जन स्वास्थ्य/एड्स/आरसीएच मुख्यालय ।
5- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय ।
6- संयुक्त निदेशक योजना मुख्यालय ।
7- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकि0 एवं स्वा0 सेवाएं जोन
8- संबंधित संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके जिले में पदस्थापित किए गए अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र भिजवाये जा रहे है। आप आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को मूल शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों से मिलान कर सही पाये जाने एवं पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत कर्तव्य पर लेवें। यदि किसी दस्तावेज की प्रामाणिकता संदिग्ध पायी जावे तो उन मामलों में स्पष्ट रिपोर्ट के साथ प्रकरण इस निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिशंषा सहित अग्रेषित करें । इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते है कि कार्यग्रहण उपरान्त भी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन 30 दिवस की अवधि में संबंधित राज्य के

बोर्ड/संस्थान में वाहक भेजकर आवश्यक रूप से करवाया जावे। अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज इसके पश्चात ही लौटाये जावे एवं सत्यापन की रिपोर्ट भी अविलम्ब निदेशालय को भेजे । इस प्रकिया में हुई किसी भी अनियमितता के लिए आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा ।

9– श्री/श्रीमती/सुश्री..................................को उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर पालनार्थ ।

10– प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय।

11–आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर